

107 द० प्र० स०

संख्या 2017

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

भारत सरकार
बनाम
पावल डूथे को

M-51/2017 आदेश पत्रक

20/6/17

अभिलेख संख्या :- एम. 51 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 20/17


210
20/6/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- खूँटी थाना के ~~अन्तर्गत~~ चल रहे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने के विरुद्ध में।

जिससे संभ्रमण है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 23/6/17 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी


10/07/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 17/08/19
आगे रखें।

17/08/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 21/09/19
आगे रखें।

21/09/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 22/10/19
आगे रखें।


21.09.19

22.10.19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक
30.11.19 आगे रखें।

30/11/19 द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 28/12/19
आगे रखें। समाप्त होने के कारण यह
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
- 
30.11.19